इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 535] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 14, शक 1935

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-9-9-2013-सत्रह-मेडि-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 7 में,—

(1) उप नियम (1) के खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) प्राधिकृत परिचारक द्वारा विहित की गई औषधियों के क्रय में उपगत व्यय:

परन्तु—

(1) यदि कोई सरकारी कर्मचारी, जो बाह्य रोगी के रूप में एक वर्ष में चार बार या लगातार तीन माह तक रुपये 1000/- (रुपये एक हजार केवल) प्रतिमाह से अधिक के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल स्वयं के या उसके परिवार के किसी सदस्य के उपचार के सम्बन्ध में प्रस्तुत करता है, तो नियंत्रण प्राधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से द्वितीय अभिमत प्राप्त करेगा तथा अनुकूल सिफारिश प्राप्त होने पर ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पास करेगा. किसी भारतीय चिकित्सा पद्धति या होम्योपैथी पद्धति से उपचार के मामले में द्वितीय अभिमत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के बजाय यथास्थिति संभागीय अधिकारी, आयुर्वेद या भारसाधक जिला आयुर्वेद अधिकारी से लिया जाएगा.

(2) यदि किसी एक वर्ष में किसी सरकारी कर्मचारी से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार केवल) से अधिक के बिल प्राप्त हों तो नियंत्रण प्राधिकारी उक्त सीमा से अधिक राशि के ऐसे समस्त बिलों की जांच एक चिकित्सा बोर्ड से कराएगा, जिसमें यथास्थिति संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ, संभागीय अधिकारी, आयुर्वेद या जिले के भारसाधक जिला आयुर्वेद अधिकारी सम्मिलित होंगे और ऐसे बिल नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा, बोर्ड की सिफारिश पर ही पास किए जाएंगे.

(3) यदि एक वर्ष में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की राशि रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार केवल) से अधिक हो तो उक्त सीमा से अधिक राशि के बिलों की जांच एक बोर्ड द्वारा की जाएगी जिसमें यथास्थिति संचालक, चिकित्सा सेवाएं, संचालक, चिकित्सा शिक्षा, संचालक, भारतीय चिकित्सा-पद्धति एवं होम्योपैथी सम्मिलित होंगे और ऐसे बिल नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा उक्त बोर्ड की सिफारिश के अनुसार ही पास किए जाएंगे.

उक्त उपबंध—

(क) अन्तर्वासी (इनडोर) रोगियों; तथा

(ख) उन रोगियों से, जो ऐसे रोग से पीड़ित हों, जिसके बारे में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने विहित प्रोफार्मा में यह प्रमाण-पत्र जारी कर दिया हो कि उस रोग के लिये उपचार लंबे समय तक चलना अपेक्षित है या चलने की संभावना है, संबंधित प्रतिपूर्ति बिलों के मामले में लागू नहीं होगा.

टिप्पणी.—ऐसा प्रमाण-पत्र एक समय में एक वर्ष से अधिक कालावधि के लिये जारी नहीं किया जाएगा किन्तु उसका समय-समय पर ऐसी कालावधि के लिये जो आवश्यक हो, नवीनीकरण किया जा सकेगा जो एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करने वाला एक रजिस्टर, ऐसी रीति में, जैसी कि सरकार द्वारा विहित की जाए, रखेगा.

(2) विद्यमान प्ररूप दो के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात् —

प्ररूप-दो

ऐसी औषधियाँ/जाँचे जो चिकित्सालय में निःशुल्क उपलब्ध नहीं हैं

[नियम 8(2) देखिए]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी . . . . . पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री . . . . . जो कि . . . . . में नियोजित हैं दिनांक . . . . . से दिनांक . . . . . तक अन्तर्वासी/बाह्यरोगी के रूप में . . . . . चिकित्सालय में . . . . . (रोग का नाम) के लिये मेरे उपचार में रहे/रहीं और इस संबंध में मेरे द्वारा निम्नलिखित औषधियां/जांचें विहित की गई. ये औषधियाँ/जाँचे, चिकित्सालय में निःशुल्क उपलब्ध नहीं है. ये औषधियां/जांचे उपरोक्त शासकीय कर्मचारी के उपचार के लिये नितान्त आवश्यक थीं.

अनुक्रमांक	**औषधि का नाम**	**राशि**
(1)	. . . . .	. . . . .
(2)	. . . . .	. . . . .
(3)	. . . . .	. . . . .

अनुक्रमांक	**जाँचों का नाम**	**राशि**
(1)	. . . . .	. . . . .
(2)	. . . . .	. . . . .
(3)	. . . . .	. . . . .

F No. 9-9-2013-XVII-M-3.—In exercise of the powers conferrred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1958, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 7,—

1. For clause (i) of sub-rule (1), the following clause shall be substituted, namely :—

"(1) Expenditure incurred on purchase of drugs prescribed by the authorized attendant in full:

Provided that—

(1) If a Government servant submits medical reimbursement bills in respect of treatment of himself or any member of his family as an out-door patient exceeding Rs. 1000/- (Rupees one thousand only) per month for four times in a year or continuously for three months, the Controlling Authority shall seek second opinion of the Chief Medical and Health Officer and only on receipt of a favourable recommendation, shall pass the medical reimbursement bill. In case of a treatment by any Indian System of Medicines or Homoeopathy, second opinion of the Divisional Officer Ayurveda or District Ayurveda Officer in charge, as the case may be, shall be obtained instead of the Chief Medical and Health Officer.

(2) If, in a year, bills of medical reimbursement exceeding Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only) are received from a Government servant, the Controlling Authority shall get, all such bills exceeding the said limit examined by a Medical Board consisting of the Divisional Joint Director of Health Services, Chief Medical and Health Officer, Specialist of the disease concerned, Divisional Officer, Ayurveda or District Ayurveda Officer in charge of the district, as the case may be and such bills shall be passed by the Controlling Authority only on the recommendations of the Board.

(3) If the bills for medical reimbursement presented by a Government servant in a year exceeds Rs. 25,000/- (Rupees twenty five thousand only) then all such bills exceeding the above said limit shall be got scrutinised by a Board consisting of the Director Medical Services, Director of Medical Education, Director of Indian System of Medicine and Homeopathy and the Controlling Authority shall pass such bills in accordance with the recommendations of the said Board only.

The above provisions shall not be applicable in respect of reimbursement bills relating to—

(a) in door patients; and

(b) patients suffering from such disease in respect of which the Chief Medical and Health Officer concerned has issued a certificate in the prescribed proforma to the efffect that the treatment for the disease is required or likely to continue for a prolonged period.

Note.—Such certificate shall not be issued for a period exceeding one year at a time but may be renewed from time to time for such period as may be necessary not exceeding one year at a time and the Chief Medical and Health Officer shall maintain a register containing particulars of such certificate issued by him in such manner as may be prescribed by the Government.

2. For the existing Form-II, the following Form shall be substituted, namely :—

"FORM-II

In case of medicines/investigations are not available for free in the hospital.

[see rule 8(2)]

CERTIFIED that Shri/Shramati/Kumari/. . . . . Son/Wife/ daughter of . . . . . employed in the . . . . . has been under my treatment from . . . . . to . . . . . for . . . . . (name of the disease) at the . . . . . hospital as an indoor/outdoor patient and that the undermentioned medicines have been prescribed by me in this connection. These medicines/investigations are not available for free in the hospital. These medicines/investigations were absolutely essential for treatment of the aforesaid Government servant.

S. No.	Name of Medicines	Cost
1.	. . . . .	. . . . .
2.	. . . . .	. . . . .
3.	. . . . .	. . . . .

S. No.	Name of Investigations	Cost
1.	. . . . .	. . . . .
2.	. . . . .	. . . . .
3.	. . . . .	. . . . .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.